5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध 29646/I/15

प्रकरण क्र.   /2015 विविध

किशोरी पिता स्व. पूरन बानिया
निवासी छतरपुर म.प्र.

.........आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
पटवारी पलौठा तह. व जिला छतरपुर

.........अनावेदक

छिदिया पिता स्व. प्यारे काछी
निवासीगण छतरपुर म.प्र.

.........तरतीवी अनावेदक

दिनांक 18-8-15 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत। 18-8-15

Pradeep Shrivastava Ad.

शाखा प्रभारी (विविध) कार्यालय महाधिवक्ता

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 8 एवं 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख, भू–प्रबंधन शाखा छतरपुर के प्रकरण क्र. 37बी. 121/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.11.09 का पालन हेतु</u>

माननीय महोदय,

आवेदक निम्नप्रकार से निवेदन करता है :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि किशारी पुत्र. स्व. पूरन बानिया निवासी छतरपुर के द्वारा एक आवेदन पत्र रिकार्ड सुधार बावत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम पलौठा स्थित भूमि खसरा नं. 707/1 के संपूर्ण रकवा में से 9.00 एकड़ भूमि का पट्टा व्यवस्थापन श्रीमान् तहसीलदार महोदय छतरपुर के द्वारा ग्राम पलौठा की पंजी क्र. 31 मार्च 1975 में पारित आदेश दिनांक 20.01. 1975 को सह पट्टेधारक छिदिया पिता प्यारे काछी के साथ दिया गया था उक्त आदेश का खसरे में अमल दरामद पटवारी के अभिलेख में किये जाने का आवेदन दिया था।

2. यहकि, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया इस्तहार जारी किया इस्तहार अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति नहीं आई। पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया पटवारी द्वारा प्रतिवेदन मय पंचनामा सहित अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में शामिल है। साक्षियों के बयान से फसल बोकर कब्जा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **विविध**-2676/दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश किशोरी विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं छिदिया	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय लेने का निवेदन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर निगरानी मेमो मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, भू–प्रबंधन शाखा छतरपुर के आदेश दिमांक–30.11.09 का पालन पटवारी पलौठा द्वारा न करने के कारण यह विविध प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त आदेश का पालन कराये जोने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के माध्यम से आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के निवेदन पर विचार किया गया, तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक–30.11.2009 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख भू–प्रबंधन शाखा छतरपुर द्वारा आवेदक एवं अनावेदक कमांक–2 का नाम ग्राम पलौठा की भूमि सर्वे कमांक–707/1 रकवा 9.00 एकड़ पर हिस्सा बराबर–बराबर 1/2 पर दर्ज करने का आदेश दिनांक–30.11.2009 के द्वारा पटवारी ग्राम पलौठा को दिया गया था । पटवारी द्वारा उक्त आदेश का पालन कर पटवारी अभिलेख में नाम इन्द्राज नही किया गया है जवकि पटवारी को उक्त आदेश का पालन करना चाहिए था । अतः तहसीलदार छतरपुर को आदेशित किया जाता है कि वे	

R. विविध-2676/II/15 किशोरी विरुद्ध म०प्र०शासन छतरपुर

सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, भू–प्रबंधन शाखा छतरपुर के उक्त आदेश दिनांक–30.11.2009 का अवलोकन एवं परीक्षण करें तथा नियमानुसार संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त आदेश के पालन में पटवारी अभिलेख में आदेशानुसार प्रविष्टि दर्ज करायें तथा अभी तक उक्त आदेश दिनांक–30.11.09 का पालन न करने के लिए संबंधित पटवारी को नामांकित करें एवं उसे कारण बताओ नोटिस देकर वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण प्राप्त करें । स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में पटवारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वाह निष्ठा से न करने एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन न करने के लिए उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही से न्यायालय राजस्व मण्डल को अवगत करावें । उक्त निर्देशों के साथ यह ~~निगरानी~~ विविध प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आदेश की प्रति तहसीलदार छतरपुर को भेजी जावे । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

1.12.15

सदस्य